प्रकरण संख्या 79/25 अनवान
मनीराम बनाम गुड्डी देवी आदि
निर्णय दिनांक 14.11.2025

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:— श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

79/2025
आरसीएमएस : 2025/186

मनीराम पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट साकिन भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:वादी

बनाम

गुड्डी देवी पत्नी स्व. श्री वीरभान जाति जाट साकिन भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
जसवंत राम पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट साकिन भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
हेतराम पुत्र श्री सुरजा राम जाति जाट साकिन भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 13.05.2025

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री जगतपाल औलख अधि. वादीगण।
2. श्री प्रीतम सिंह अधि. प्रति. सं. 1 ता 3।

दिनांक :—14.11.2025

—:निर्णय :—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की विरास्तन मुस्तरक खाता भूमि वाके चक 80 आर. बी. तहसील रायसिंहनगर का मु. नं 15 प. नं 217/271 के कि. नं. 8/2 की 0.127 है, कि.नं. 9 की 0.253 है, कि. नं. 12 की 0.253 है, कि.नं. 13 की 0. 253 है., कि.नं. 14 की 0.253 है, किला नं 15/1 की 0.228 है, कि.नं 15/2 की 0.025 है. खाला, किला नं 16/1 की 0.228 है, किला नं 16/2 की 0.025 है खाला, कि. नं 17 की 0.253 है, कि. नं 18 की 0.253 है, कि. नं 19 की 0.253 है, कि. नं 20 की 0. 253 है कुल 3.163 है नहरी भूमि का 1/4 हिस्सा संयुक्त रूप से खातेदारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने निम्न प्रकार से घरू बंटवारा किया गया है।
(क) वादी मनीराम पुत्र सुरजाराम के हक में वाके चक 80 आर.बी के मु. नं. 15 प.नं 217/271 खाता संख्या 31/28 का किला नं. 16/1 में 0.159 है., कि. नं. 17 में 0. 158 है, कि. नं. 18 में 0.158 है, कि. नं. 19 में 0.158 है, कि. नं 20 में 0.158 है. यानि कुल 0.791 है नहरी भूमि घरू बंटवारे के अनुसार कब्जा कास्त में है।वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक सम्पति की परिभाशा में आती है जिसके 0.791 है. नहरी भूमि पर प्रार्थी का जन्मतः हक बनता है।
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी मिलीभगत कर वादी का हित खत्म करने के लिए लिये सम्पूर्ण हिस्सा 3.163 है. नहरी भूमि खुर्द–बुर्द कर अन्य हाथों में मुतंकिल कर किन्ही लोगों के पक्ष में बैयानामा पंजीकृत करवाने व इन्तकाल करवाने तथा सुपुर्द करने पर उतारू है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन किया गया कि वे उसका हक घोषित करवाकर बंटवारा करें व रकबा अन्य के हाथों में मुंतकिल करने से बाज व ममून रहें तो वे बमुकाम रायसिंहनगर [illegible] रूप से इन्कार हो गए। प्रतिवादीगण द्वारा रकबा अंतरित कर कब्जा [illegible] क्तियों का सुपुर्द करने की घमकी दी गई है। इस प्रकार [illegible] की घोषणा करवा बंटवारा करवाने व बंटवारा करवा पृथक से कब्जा प्राप्त [illegible] अपने नाम से इंतकाल अमलदरामद करवाने व स्थाई व्यादेश प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। अगर ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

नहीं किया जाता है तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बेचान करने की फिराक में है, ऐसा करने से वादी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा जिसका मुल्यांकन मुद्राओं में नहीं हो सकेगा। सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है तथा प्रथम दृष्टतया मामला वादी के पक्ष में है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादीगण की विरासतन मुस्तरक खाता भूमि वाके चक 80 आरबी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 15 प.नं 217/271 के कि. नं 8/2 की 0.127 है, कि. नं. 9 की 0.253 है, कि नं 12 की 0.253 है, कि.नं 13 की 0.253 है, कि. नं. 14 की 0. 253 है, कि. नं. 15/1 की 0.228 है, कि. नं 15/2 की 0.025 है. खाला, कि. नं 16/1 की 0.228 है, कि. नं 16/2 की 0.025 है. खाला, कि. नं 17 की 0.253 है, कि. नं 18 की 0.253 है, कि. नं 19 की 0.253 है, कि. नं. 20 की 0.253 है कुल 3.163 है. नहरी भूमि खातेदारी दर्ज है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा यानि चक 80 आर.बी के मु. नं 15 प.नं. 217/271 खाता संख्या 31/28 का कि.नं. 16/1 में 0.159 है, कि. नं 17 में 0.158 है, कि. नं 18 में 0.158 है, कि.नं 19 में 0.158 है. कि. नं 20 में 0.158 है. यानि कुल 0.791 है. पर वादी के खातेदारी अधिकारों की घोशणा की जावे । वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को उक्त भूमि को रहिन बैय नहीं करने व मौका तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश पारित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की तरफ से श्री प्रीतम सिंह गिल अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ जबाव दावा मय काउंटर क्लेम निम्न प्रकार से है कि दावा के मद सं. 3 में विस्तृत घरेलू बंटवारा दर्ज नहीं किया है ना ही मिन प्रतिवादीगण के बंटवारा में प्राप्त रकबे का उल्लेख किया है, वादी को घरेलू बाह्मी बंटवारा में वर्णित अनुसार रकबा प्राप्त नहीं है बल्कि बाहमी बंटवारा में मिन प्रतिवादीगण सं 1 ता 3 क्रमशः गुडडी देवी, जसवन्त व हेतराम प्रत्येक 1/4–1/4 भाग अनुसार तीनों का कुल 3/4 भाग अर्थात 2.373 है रकबा अनुसार विवादित रकबा वाके चक 80 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नं. 217/271 मुरब्बा नंबर 15 के किला नं 8/2 की 0. 127 है, 9 ता 16 प्रत्येक 0.253 है, 17 की 0.222 है. पूर्वी पासा कुल 2.373 है. नहरी खातेदारी प्राप्त होकर काबिज काश्त चले आ रहे है ओर शेष बचा विवादित रकबा किला नं 17 की 0.031 है. पश्चिमी पासा, 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. कुल 0.790 है. नहरी रकबा सह हिस्सेदार वादी मनीराम को प्राप्त है, उपरोक्तानुसार ही मिन प्रतिवादीगण विधिवत बंटवारा करवा अपना खाता विभाजित करवाना चाहते है वादी के उक्त रकबा पर कब्जा को वादी स्वंय ने इकरारनामा दिनांक 26.03.2007 में एवं पुलिस ने एफ.आई.आर नं. 198/2.06.2014 के अनुसंधान के दौरान मौका पर बनाये गये नक्शा मौका दिनांक 02.08.2014 से भी स्पष्ट लक्षित है। इस भूमि की संयुक्त आमदनी से चक 8 एन.डी. में भूमि अर्जित की गई जिसमें भी मिन प्रतिवादीगण का हक है जिसे पाने के लिये अलग से कार्यवाही प्रस्तावित है चूंकि विवादित रकबा ही मिन प्रतिवादीगण व उनके परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन व स्त्रोत होने से खुर्द–बुर्द कर अन्य हाथों में मुन्तकिल कर कब्जा सुपुर्द करने की कोई मंशा नहीं रखते। सारे तथ्य वादी ने प्रकरण को बल देने के लिहाज से झूठे दर्ज करवाये है, जिनका कोई विधिक आधार व ओचित्य नहीं है। मिन प्रतिवादीगण ने कभी भी सही व वास्तविक घरू बंटवारा से इन्कार कर खाता विभाजन करवाने से इन्कार नही किया ना ही धमकी दी, सारे तथ्य अपने वाद की तकमील पूरी करने के [illegible] तथ्य [illegible] गये है। वादी को मिन प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई बिनाय दावा बिनाय [illegible] हासिल नहीं है। वादी मनमाने व मनमर्जीपूर्ण तरीके से वांछित [illegible] चाहता है जिसका वह विधिक अधिकारी नही है। वादी अपने हिस्से से अधिक [illegible] प्राप्त करने का न तो कानूनन अधिकारी है ना ही मनमाने व मनमर्जीपूर्ण तरीके से [illegible] कब्जा दर्शाकर विधिवत बंटवारा व खाता विभाजन करवा पाने का विधिक अधिकारी है, इसलिये वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति होने का अन्देशा नही होने से वह निषेधाज्ञा पाने का विधिक अधिकारी नही है वादी ने सारे तथ्य मिथ्या वा निराधार दर्ज करवाये है इसलिये वादी को किसी प्रकार से ना पूरा होने वाला नुकसान होने का अन्देशा नहीं है ना ही सुविधा का सन्तुलन व प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में बनता है बल्कि उक्त तीनों बिन्दू मिन प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित है। अतिरिक्त आपत्तियां व कांउन्टर क्लेम वादी वर्णित किलाजात पर काबिज नहीं है इसलिये सुविधा का सन्तुलन प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में न होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादी सद्भावी नहीं है ना ही क्लीन हेण्ड से न्यायालय में आया है उसने वाद मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर प्रतिवादीगण को नाहक हैरान परेशान करने व बेजा नुकसान पहुंचाने के आशय से पेश किया है, जो काबिल निरस्ती के है और मिन प्रतिवादीगण विशेष हर्जाना वादी से पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 क्रमशः गुडडी देवी, जसवन्त व हेतराम प्रत्येक 1/4–1/4 भाग अनुसार तीनों अपने कुल 3/4 भाग अर्थात 2.373 है। अनुसार विवादित रकबा वाके चक 80 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नं 217/271 मु.नं 15 के किला नं 8/2 की 0.127 है, 9 ता 16 प्रत्येक 0.253 है, 17 की 0.222 है. पूर्वी पासा कुल 2.373 है नहरी खातेदारी पर चले आ रहे मिन प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त अनुसार और शेष बचा विवादित रकबा कि. नं 17 की 0.031 है पश्चिमी पासा, 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. कुल 0.790 है नहरी खातेदारी पर वादी मनीराम के चले आ रहे कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन वा विधिक बंटवारा करवा पाने के कानूनी अधिकारी है, मगर बार–बार अनुरोध के बावजूद वादी ने अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया और वादी ने उक्त वाद पेश करते हुये प्रतिवादीगण का सहयोग करने से इन्कार हो गये, यही बिनाये वाद कारण वा बिनाये मुखास्मत है। इसलिये मिन प्रतिवादीगण बाह्मी बंटवारा अनुसार चले आ रहे उक्त भूमि पर कब्जा काश्त के आधार पर विधिक बंटवारा करवाते हुये अपना खाता शेष खातेदार वादी से अलग करवा पाने की डिक्री पाने के कानूनी अधिकारी है। काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद खारिज फरमाया जाकर काउन्टर क्लेम मिन प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर पक्षकारन के मध्य बाह्मी बंटवारानुसार मिन प्रतिवादीगण सं 1 ता 3 क्रमशः गुडडी देवी, जसवन्त व हेतराम प्रत्येक 1/4–1/4 भाग अनुसार तीनों अपने कुल 3/4 भाग अर्थात 2.373 है अनुसार विवादित रकबा वाके चक 80 आरबी तहसील रायसिंहनगर के पत्थर नं 217/271 मु0 नं 15 के किला नं 8/2 की 0.127 है, 9 ता 16 प्रत्येक 0.253 है, 17 की 0.222 है. पूर्वी पासा कुल 2.373 नहरी खातेदारी पर चले आ रहे मिन प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त अनुसार विधिक बंटवारा करते हुये खाता विभाजित करने की डिक्री बहक मिन प्रतिवादीगण विरूद्व वादी पारित की जावें। अति कृपा होगी।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण के कथनों पर विश्वास करते हुए विरास्तन मुस्तरक खाता भूमि वाके चक 80 आर. बी. तहसील रायसिंहनगर का मु. नं 15 प.नं 217/271 की कुल 3.163 है नहरी खातेदारी भूमि का जमाबंदी में अंकन अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का खाता विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र राम/न्याय/स्था/प. 51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार पालना करते हुए व तहसीलदार रायसिंहनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 [illegible] प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया।

4. तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा इस [illegible] /2025/1390 दिनांक 13.10.2025 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2025/6028 दिनांक 27.10.2025 द्वारा विवादग्रस्त भूमि चक 80 आर.बी. के संयुक्त खाता प.नं. 217/271 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

File No. 10/25

मु.नं. 15 की कुल 3.163 है. भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1. गुडडी देवी पत्नि वीरभान जाति जाट रहन बदस्तूर चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 (15) कि.नं. नं 8 की 0.127 है., 9–10 की 0.506है, 11 की 0.151है. कुल 0.784 है नहरी भूमि।
2. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 (15) कि. नं 11/0.102है, 12–13 की 0.506है., 14/0.176है. कुल 0.784 है. नहरी भूमि रहन बदस्तूर।
3. जसवन्त पुत्र सुरजाराम जाति जाट रहन बदस्तूर चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 (15) कि. नं. 14/0.064है., 15 की 0.216 न., 0.025 खाला, 16 की 0. 228 न., 0.025 खाला कुल 0.785 नहरी मय खाला भूमि।
4. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट रहन बदस्तूर चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 (15) कि. नं. 17 की 0.026, 18–19–20 की 0.759 कुल 0.785 नहरी भूमि।
5. गुडडी देवी पत्नि वीरभान 1/4 हिस्सा , हेतराम पुत्र सुरजाराम 1/4 हिस्सा ,जसवन्त पुत्र सुरजाराम 1/4 हिस्सा , मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट रहन बदस्तूर जमाबन्दी अनुसार चक 80 आर.बी. प.नं.217/271 (15) कि. नं. 14/0. 013, 15/0.012 कुल 0.025 है. नहरी भूमि।

6. वादी ने तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर एतराज प्रस्तुत करने पर पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के लिए तहसीलदार को पत्र जारी किया गया जिसके संदर्भ में तहसीलदार रायसिंहनगर ने पुनः अपने पत्र क्रमांकः भू.अ. /2025/6058 दिनांक 29.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार प्रस्तुत किया:–
   1. गुडडी देवी पत्नि वीरभान जाति जाट रहन बदस्तूर चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 मु.नं.(15) कि.नं. नं 8 की 0.127 है., 9–10 की 0.506है, 13 की 0. 052है, 14/.053, 15/.048 नहरी, .005 है. खाला कुल 0.791 है नहरी मय खाला भूमि।
   2. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 मु.नं. (15) कि. नं. 11/0.158है., 12 की 0.158, 13/0.158, 14/0.158, 15/.143 न., 0. 015 खाला कुल 0.790 है.नहरी मय खाला भूमि रहन बदस्तूर।
   3. जसवन्त पुत्र सुरजाराम जाति जाट रहन बदस्तूर चक 80 आर.बी.प.नं. 217/271 मु.नं.15 कि.नं. 16/0.143 0.015 खाला, 17/.158, 18/.158, 19/.158, 20/. 158 कुल 0.790 है. नहरी मय खाला भूमि।
   4. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट रहन बदस्तूर चक 80 आर.बी. प.नं. 217/271 मु.नं. (15) कि.नं. 11/.095, 12/.095, 13/.043, 14/ .042, 15/0.037 न. . 005 खाला, 16/.085 न., .010खाला, 17/.095, 18/.094, 19/.095, 20/.095 कुल 0.791 है. नहरी मय खाला भूमि।

7. वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 03.11.2025 को जरिये अधिवक्तागण उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त अनवान सदर के प्रकरण मे आज की तारीख मुर्कर है जिसमें पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना व प्रेरणा से राजीनामा होकर पक्षकारान के मध्य विवादित रकबा वाके चक 80 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 31/28 में प.नं. 217/271 मु.नं. 15 के कि.नं. 8/2 ता 20 की कुल खाता योग 3.163 है. नहरी मय खाला खातेदारी का प्रत्येक पक्षकार के 1/4–1/4 हिस्सानुसार निम्नानुसार बंटवारा कर खाता विभाजन करवा राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाना तेय पाया।

(क) वादी मिकर मनीराम को कि.नं. 18 ता 20 कुल 0.253 है. नहरी, कि.नं. 17/0. 025 है. नहरी पश्चिमी सिमा उत्तर से दक्षिण कि.नं. 18 से चिपते कुल 0.784 है. नहरी भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

(ख) प्रतिवादीया मिकरा गुड्डी देवी को कि.नं. 8/2 की 0.127 है., कि.नं. 9 ता 10 प्रत्येक 0.253 है. नहरी, कि.नं. 11/0.151 है. नहरी पश्चिमी पासा उत्तर से दक्षिण लम्बी कि.नं. 10 से चिपते कुल 0.784 है. नहरी भूमि।

(ग) प्रतिवादी जसवन्त को कि.नं. 14/.063 है. पूर्वी पासा, कि.नं. 15/1 की 0.215 है. नहरी उतरी पासा, कि.नं. 15/2 की 0.025 है. खाला, कि.नं. 16/1 की 0.228 है. नहरी, कि.नं. 16/2 की 0.025 है. खाला, 17/0.228 है. नहरी पूवी पासा, कि.नं. 16 से चिपते कुल 0.784 है. नहरी भूमि।

(घ) प्रतिवादी मिकर हेतराम को कि.नं. 11/0.102 है., नहरी पूर्वी पासा, कि.नं. 12 ता 13 प्रत्येक 0.253 है., 14/0.177 है. उतरी पासा कुल 0.785 है. नहरी भूमि।

(ड.) शेष रही भूमि कि.नं 15/1 की 0.013 है. दक्षिणी पासा कि.नं. 16 से चिपते व कि.नं. 14/0.013 है. दक्षिणी पासा, कि.नं. 17 से चिपते हुये कुल 0.026 है. नहरी भूमि रास्ता।

प्रथम पक्षकार/वादी व द्वितीय पक्षकारान/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 संयुक्त खातेदारान होना, तय पाया गया। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजनीमा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद निर्णित व डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे।

8. बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताण ने माफिक राजीनामा दिनांक 03.11.2025 अनुसार वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। एवं न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण ने हाजिर होकर फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर कर वाद पत्र का निस्तारण करने के लिए अपनी सहमति दी है। हम वादी का वाद पत्र राजीनामा दिनांक 03.11.2025 के अनुसार डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण दिनांक 03.11.2025 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जारी की जाती है कि वाके चक 80 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 31/28 में प.नं. 217/271 मु.नं. 15 के कि.नं. 8/2 ता 20 की कुल खाता योग 3.163 है. नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः—

(क) वादी मिकर मनीराम चक 80 आर.बी. खाता संख्या 31/28 के प.नं. 217/271 मु.नं. 15 के कि.नं. 18 ता 20 प्रत्येक 0.253 है. नहरी, कि.नं. 17/0.025 है. नहरी पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण लम्बी कि.नं. 18 से चिपते कुल 0.784 है. नहरी भूमि।

(ख) प्रतिवादीया मिकरा गुड्डी देवी चक 80 आर.बी. खाता संख्या 31/28 के प.नं. 217/271 मु.नं. 15 के कि.नं. 8/2 की 0.127 है., कि.नं. 9 ता 10 प्रत्येक 0.253 है. नहरी, कि.नं. 11/0.151 है. नहरी पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण लम्बी कि.नं. 10 से चिपते कुल 0.784 है. नहरी भूमि।

(ग) प्रतिवादी जसवन्त चक 80 आर.बी. खाता संख्या 31/28 के प.नं. 217/271 मु. नं. 15 के कि.नं. 14/.063 है. पूर्वी पासा, कि.नं. 15/1 की 0.215 है. नहरी उतरी पासा, कि.नं. 15/2 की 0.025 है. खाला, कि.नं. 16/1 की 0.228 है. नहरी, कि.नं. 16/2 की 0.025 है. खाला, 17/0.228 है. नहरी पूवी पासा, कि.नं. 16 से चिपते कुल 0.784 है. नहरी भूमि।

(घ) प्रतिवादी मिकर हेतराम चक 80 आर.बी. खाता संख्या 31/28 के प.नं. 217/271 मु.नं. 15 के कि.नं. 11/0.102 है., नहरी पूर्वी पासा, कि.नं. 12 ता 13 प्रत्येक 0.253 है., 14/0.177 है. उतरी पासा कुल 0.785 है. नहरी भूमि।

(ड.) शेष रही भूमि चक 80 आर.बी. खाता संख्या 31/28 के प.नं. 217/271 मु.नं. 15 के कि.नं 15/1 की 0.013 है. दक्षिणी पासा कि.नं. 16 से चिपते व कि.नं. 14/0.013 है. दक्षिणी पासा, कि.नं. 17 से चिपते हुये कुल 0.026 है. नहरी भूमि रास्ता उपयोग के लिए छोड़ी जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandras
Date: 2025.12.11 16:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:27:18 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner